[illegible] [illegible] दिनांक 6/1/26 को पेश हो

1/1/26 पत्रावली पेश। वकील पक्ष उप० [illegible]
मूलवाद अनुसार [illegible] उक्त
5/6/26 के विरुद्ध [illegible] [illegible]
[illegible] है। [illegible] उपस्थित हैं
[illegible] जवाब नहीं [illegible] चाहिये।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रा.
[illegible] [illegible] [illegible] 2/2/26 को
वास्ते बहस [illegible]
पेश हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

2/2/26 पत्रा. पेश। वकील पक्ष. उप०।
बहस सुनी गयी वास्ते आदेश
18/2/26 को पेश हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

आदेश [illegible] 18/2/26

18/2/26 पत्रा. पेश। वकील पक्ष. उप०।
वास्ते आदेश 27/4/26 को
पेश हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

7/4/26 पत्रा. पेश। वास्ते आदेश
25/3/26 को पेश हो।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

5/3/26 पत्रा. पेश।
प्रार्थी लोकेश पुत्र रामलाल द्वारा
२१२ RT Act के अंतर्गत अंतरिम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि उसके पूर्वजों की पैतृक संपत्ति है तथा दिनांक 27/05/2024 के दानपत्र / हकत्याग पत्र जो प्रतिवादियों के पक्ष में निष्पादित बताए गए हैं, रामलाल की अस्वस्थ मानसिक स्थिति में प्राप्त किए गए है।	
	इसी तरह वादी ने विवादित भूमि से जुड़े अन्य दानपत्र / हकत्याग को challenge किया है।	
	वहीं प्रतिवादीगण का कथन है उक्त दानपत्र विधिवत पंजीकृत हैं, जिसके आधार पर नामांतरण हो चुका है तथा वर्तमान में वे राजस्व अभिलेखों में खातेदार दर्ज हैं। साथ ही प्रार्थी की पितृत्व संबंधी स्थिति भी विवादित बताई गई है।	
	अंतरिम स्तर पर यह स्थापित विधि है कि पंजीकृत दस्तावेज़ों को प्रथम दृष्टया वैध माना जाता है तथा उनकी वैधता का प्रश्न विस्तृत साक्ष्य के आधार पर अंतिम सुनवाई में ही निर्णीत किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा रामलाल की मानसिक अस्वस्थता संबंधी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कोई ठोस prima facie साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही प्रार्थी का उत्तराधिकार अधिकार भी विवादित है। इस स्थिति में न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सशक्त आधार प्रतीत नहीं होता जिससे प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की जा सके। साथ ही वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज स्थिति को परिवर्तित करना इस स्तर पर उचित नहीं होगा। अतः Balance of convenience एवं अपूर्णीय क्षति के तत्वों पर विचार करने पर भी प्रार्थी अंतरिम राहत का पात्र नहीं पाया जाता है। अतएव, प्रार्थी का अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 25/03/2026 को सुनाया गया। फैसला मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर हो। Che 25/03 उपखण्ड अधिकारी	